ISBN : 978-81951728-5-6

भारत में बढ़ते महिला अपराध: समस्या एवं निवारण

रंगोली चँद्रा
सह–प्राध्यापक
समाज शास्त्र विभाग
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ उत्तर प्रदेश, भारत

श्वेता यादव
सहायक प्राध्यापक
समाज शास्त्र विभाग
हरदोई, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

भारतीय समाज में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध समाज की एक भयावह तस्वीर प्रस्तुत करते हैं महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न–भिन्न रूपों में देखने को मिलते है सामान्य तौर पर परिवार एक महिला के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है तथा परिवार के सदस्य सबसे भरोसेमंद व्यक्ति, लेकिन राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नवीनतम आंकड़े यह दर्शाते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध सर्वाधिक अपराध पुरुषों एवं रिश्तेदारों की क्रूरता से संबंधित है जिसका परिणाम महिलाएं शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर भुगतती है इस स्थिति से उत्पन्न होने वाली पीड़ा महिलाओं को क्षतिग्रस्त कर देती है तथा सरकार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न प्रयास भी विफल होने की कगार पर खड़े

ISBN : 978-81951728-5-6

हो जाते हैं। प्रस्तुत लेख के माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है तथा उन अपराधों पर नियंत्रण लगाने के उपायों पर भी प्रकाश डाला गया है।

प्रस्तावना

भारत में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध समाज के लिए एक चिंतनीय विषय है, महिला अपराध वर्तमान समाज की ही समस्या नहीं है बल्कि इसका इतिहास सदियों पुराना है, सदियों से महिलाएं अनेक प्रकार की हिंसा और उत्पीड़न का शिकार होती रही है हालांकि वर्तमान में यह समस्या और अधिक विकराल रूप धारण करती जा रही है। वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे, उनको शिक्षा प्राप्त करने, जीवन साथी चयन का अधिकार प्राप्त था तथा महिलाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की कुरीतियां विद्यमान नहीं थी। इस्लामिक काल के आगमन के साथ ही नारी उत्पीड़न एवं शोषण बढ़ता गया, महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया तथा साथ ही समाज में अनेक कुरीतियों जैसे पर्दाप्रथा, सती प्रथा. जौहर तथा बाल विवाह का प्रचलन बढ़ने लगा जिससे महिलाओं की स्थिति दयनीय होती चली गई।

वर्तमान समाज में नारियों के प्रति दो प्रकार के दृष्टिकोण प्रचलित है एक वह जो महिलाओं को पुरुषों के समान ही शक्ति ,सत्ता एवं अधिकार दिलाने का पक्षधर है तथा दूसरा वह जो महिलाओं को पुरुषों से निम्न दर्जे का आंकता है, तथा उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने का पक्षधर है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा सिर्फ बाहरी समाज में ही देखने को नहीं मिलते हैं बल्कि महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थान अर्थात परिवार में भी देखने को मिलते हैं। महिलाओं का जीवन असुरक्षित है यह उनके जीवन की प्रत्येक अवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रत्येक महिला को अपने जीवन में किसी न किसी रूप में हिंसा, शोषण और अपराध का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध उनके जन्म के पूर्व से प्रारंभ होकर संपूर्ण जीवन काल के

ISBN : 978-81951728-5-6

दौरान घटित होते रहते हैं जैसे कन्या के जन्म से पूर्व घटित होने वाली कन्या भ्रूण हत्या, तथा उसके जन्म के समय होने वाली कन्या हत्या, बाल्यावस्था में बाल विवाह एवं कुपोषण की समस्या, किशोरावस्था के दौरान उनसे होने वाला पक्षपातपूर्ण व्यवहार, यौन एवं भावनात्मक शोषण, बलात्कार आदि की घटनाएं तथा विवाह के पश्चात उत्पन्न होने वाली घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, परिवार एवं कार्यस्थल पर मानसिक प्रताड़ना एवं शोषण तथा वैवाहिक बलात्कार जैसी समस्याएं महिला जीवन की विपत्तियों एवं चुनौतियों को स्पष्ट करती हैं। वृद्धावस्था के दौरान भी वृद्ध महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक अपमान, भावनात्मक शोषण, कार्यों का बोझ आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार महिलाओं का संपूर्ण जीवन काल ही अपराध तथा हिंसा का सामना करते हुए व्यतीत होता है।

भारतीय दंड संहिता में क्राइम शब्द के स्थान पर ऑफेंस शब्द का प्रयोग किया गया है । आईपीसी की धारा 40 के अनुसार, ऑफेंस एक ऐसी क्रिया है जो संहिता के अनुसार दंडनीय है इसके अंतर्गत ऐसे सभी अपराध जो महिलाओं के विरुद्ध हो या जिससे महिलाएं पीड़ित हो उन्हें महिलाओं के विरुद्ध अपराध माना गया है जैसे अपहरण, हत्या. बलात्कार, छेड़खानी इत्यादि।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित महिलाओं के विरुद्ध हिंसा निवारण संबंधी घोषणा पत्र (१९९३) में यह स्वीकार किया गया की लैंगिक भेदभाव के परिणाम स्वरूप महिलाओं के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार हिंसा की श्रेणी में आता है, इस प्रकार, महिला हिंसा, घरेलू या सार्वजनिक क्षेत्र में घटित ऐसी कोई भी घटना जिससे महिला को शारीरिक –मानसिक क्षति पहुंचे तथा उसकी स्वतंत्रता का हनन हो,महिला विरुद्ध हिंसा कहलाएगी।

महिलाओं के प्रति की जाने वाली हिंसा को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है–

ISBN : 978-81951728-5-6

1. आपराधिक हिंसा– दुष्कर्म, अपहरण एवं हत्या।
2. घरेलू हिंसा– दहेज संबंधी हत्या, पत्नी उत्पीड़न, लैंगिक दुर्व्यवहार।
3. सामाजिक हिंसा– कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, दहेज उत्पीड़न संपत्ति में महिलाओं को हिस्सा ना देना।

भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध	**2017**	**2018**	**2019**
कुल राज्य	345959	363776	391601
कुल संघ शासित प्रदेश	13860	14460	14260
भारत में कुल अपराध	359849	378236	405861
अपराध की दर	57.9	58.8	62.4

स्रोत –राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि महिलाओं के प्रति अपराध प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं, वर्तमान भारत में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की संख्या 405861 है जो कि2018 (378236) के आंकड़ों की तुलना में 7.3 प्रतिशत अधिक है, जबकि 2017 में भारत में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले कुल अपराध 359849 थे तथा अपराध की दर 50.9% थी जो 2018 में बढ़कर 58.8% हो गई तथा वर्तमान में यह 62.4 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

अपराध	**2017 (%)**	**2018 (%)**	**2019 (%)**
पतियों एवं रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता संबंधित अपराध	33.2	31.9	30.9
महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने	27.3	27.6	21.8

ISBN : 978-81951728-5-6

संबंधित अपराध			
अपहरण के मामले	21	22.5	17.9
बलात्कार के मामले	10.3	10.3	7.9

स्रोत –राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नवीनतम आंकड़े दर्शाते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अधिकतर अपराध पतियों एवं रिश्तेदारों की क्रूरता (30.9%) से संबंधित है 21.8 प्रतिशत मामले महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए शोषण पर आधारित है 17.9% मामले महिलाओं के अपहरण तथा 7.9% मामले बलात्कार से संबंधित पाए गए। वर्तमान समाज में बलात्कार की समस्या गंभीर रूप धारण करती जा रही हैं तथा इससे संबंधित आंकड़ों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती चली जा रही है आंकड़ों के अनुसार भारत में बलात्कार के कुल 32033 मामले दर्ज किए गए जिसमें से 4977 मामले नाबालिगों के बलात्कार से संबंधित पाए गए । भारत में बलात्कार की सबसे ज्यादा शिकार (60.9%) 18–30 आयु वर्ग की महिलाएं होती हैं तथा ज्यादातर मामलों में अपराधी, पीड़िता का परिचित वाला (लगभग 94.2%) या जानने पाया गया, जैसे मित्र परिवार के सदस्य रिश्तेदार पड़ोसी इत्यादि। बलात्कार के सर्वाधिक मामले राजस्थान (5997), उत्तर प्रदेश(3065), मध्य प्रदेश (2485), महाराष्ट्र (2299) तथा केरल (2023) में दर्ज किए गए। भारत में महिलाओं के अपहरण और भगा ले जाने के कुल 72780 मामले दर्ज किए जो भारत में महिला विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों का 17.9% है। एक नाबालिग (लड़का या लड़की) को बिना उसके अभिभावक की सहमति से बहला–फुसलाकर ले जाने को अपहरण कहते हैं जबकि भगा ले जाने का अर्थ है एक महिला को उसकी सहमति से, जबरदस्ती, कपट पूर्वक या धोखेबाजी से बहका कर ले जाना तथा उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन विवाह करने हेतु

ISBN : 978-81951728-5-6

बाध्य करना। महिलाओं के अपहरण संबंधित आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि कुल मामले में से 109 महिलाओं का अपहरण हत्या करने के इरादे से किए गए, 78 मामले फिरौती मांगने के इरादे से किए गए जबकि सर्वाधिक 32630 मामले जबरन शादी करने के इरादे से किए गए थे जिनमें 15615 मामले नाबालिग को जबरन शादी के लिए मजबूर करने तथा 16645 मामले वयस्क महिलाओं को शादी के लिए मजबूर करने से संबंधित है और 3117 मामले नाबालिग लड़कियों की खरीद–फरोख्त से संबंधित थे।

भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध संबंधित आंकड़े

क्रम संख्या	राज्य	2017	2018	2019	महिलाओं के विरुद्ध अपराध की कुल दर (2019)
1.	आंध्र प्रदेश	17909	16438	17746	67.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	337	368	317	43.3
3.	असम	23082	27728	30025	177.8
4.	बिहार	14711	16920	18587	32.3
5.	छत्तीसगढ़	7996	8587	7689	53.5
6.	गोवा	369	360	387	43.1
7.	गुजरात	8133	8329	8854	27.1
8.	हरियाणा	11370	14326	14683	108.5

ISBN : 978-81951728-5-6

9.	हिमाचल प्रदेश	1246	1633	1636	45.4
10.	जम्मू एवं कश्मीर	3129	3437	3069	47.8
11.	झारखंड	5911	7083	8760	47.8
12.	कर्नाटक	14078	13514	13828	42.5
13.	केरल	11057	10461	11462	62.7
14.	मध्य प्रदेश	29788	28942	27560	69.0
15.	महाराष्ट्र	31979	35497	37144	63.1
16.	मणिपुर	236	271	266	17.2
17.	मेघालय	567	571	558	34.6
18.	मिजोरम	301	249	170	28.7
19.	नागालैंड	79	75	43	4.1
20.	उड़ीसा	20098	20274	23183	103.5
21.	पंजाब	4620	5302	5886	41.5
22.	राजस्थान	25993	27866	41550	110.4
23.	सिक्किम	163	172	125	39.8

ISBN : 978-81951728-5-6

24.	तमिलनाडु	5397	5822	5934	15.6
25.	तेलंगाना	17521	16027	18394	99.3
26.	त्रिपुरा	972	907	1070	54.5
27.	उत्तर प्रदेश	56011	59445	59853	55.4
28.	उत्तराखंड	1944	2817	2541	46.5
29.	पश्चिम बंगाल	30992	30394	30394	64.0
कुल राज्य		345989	371774	391601	61.3

30.	अंडमान एवं निकोबार	132	147	135	72.2
31.	चंडीगढ़	453	442	515	95.2
32.	दादरा एवं नागर हवेली	20	38	49	21.6
33.	दमन एवं दीव	26	16	33	25.2
34.	दिल्ली	13076	13640	13395	144.0
35.	लक्ष्यदीप	6	11	38	115.2
36.	पुडुचेरी	147	166	95	12.1

ISBN : 978-81951728-5-6

कुल केंद्र शासित प्रदेश	13860	14460	14501	127.2
भारत में कुल अपराध	359849	378277	405861	62.4

स्रोत –राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

महिला हिंसा तथा शोषण आज के समाज की एक गंभीर समस्या है जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के लिए अनेककारण उत्तरदायी हैं। पितृसत्तात्मक समाज की विचारधाराएं महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के लिए जिम्मेदार है जिसके अंतर्गत महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता है तथा उन्हें समाज में दोयम दर्जे का माना जाता है इसके अंतर्गत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व रहता है इसलिए महिलाओं के साथ भेदभाव की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इसके अतिरिक्त, लैंगिक असमानता महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की घटनाओं के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है जिसके अंतर्गत लिंग विशेष के लोगों को ज्यादा विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जबकि दूसरे की जीवन के हर पक्ष में उपेक्षा की जाती है। महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा एवं अपराध के लिए सर्वाधिक प्रमुख कारण समाज की सामाजिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक मूल्य, मानदंड एवं मान्यताएं हैं जिसे समाज का प्रत्येक व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा आत्मसात करता है तथा तदनुरूप व्यवहार करता है, जैसे पुरुषों का स्वभाव आक्रामक या कठोर होना तथा स्त्रियों का विनम्र आज्ञाकारी एवं शांत होना, महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति समझना आदि धारणाएं प्रचलित है तथा बड़े–बड़े जन समूह द्वारा उसका पालन भी किया जाता है इसके अतिरिक्त महिलाओं के पुरुषों के ऊपर आर्थिक निर्भरता महिलाओं को कई संदर्भों में कमजोर बनाती है तथा उन्हें अनेक प्रकार की शारीरिक मानसिक यातना झेलने को मजबूर करती है।

ISBN : 978-81951728-5-6

महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध– निवारण

महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध की घटनाओं की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयास किए गए हैं तथापि महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दर नियंत्रण से बाहर हो रही है अतः इन अपराधों की रोकथाम के लिए कई स्तरों पर प्रयास करने की आवश्यकता है।

1. महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों को नियंत्रण करने के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा बनाए गए सभी कानूनों को और अधिक कठोर बनाया जाना चाहिए तथा उन्हें सुचारु रूप से लागू करना चाहिए।
2. महिला विरुद्ध अपराधों में दिन प्रतिदिन वृद्धि ना हो इसके लिए स्वयं नारियों को सशक्त बनना होगा तथा उनके अपने हितों एवं अधिकारों को सुरक्षित करने के संदर्भ में बने कानूनों के संबंध में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए तथा साथ ही साथ आमजन में इसके प्रति जागरूकता विकसित करनी चाहिए ।
3. महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों के लिए समाज के दोषी मानसिकता भी उत्तरदायी है, जिसके अंतर्गत लैंगिक असमानता तथा पितृसत्तात्मक व्यवस्था की धारणाओं के आधार पर न सिर्फ महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता है बल्कि पुरुष द्वारा की जाने वाली महिला हिंसा को जायज ठहराया जाता है इसके लिए आवश्यक है कि लड़के और लड़की दोनों का समुचित समाजीकरण किया जाए ताकि समाज में व्याप्त इन धारणाओं को कमजोर कर, समानता आधारित सभ्य समाज की स्थापना की जा सके।
4. महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के लिए अपराधी को दोषी ना ठहरा कर स्वयं महिला को दोषी ठहराया जाता है तथा उस पर समाज द्वारा कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाए जाते हैं उसे अपमानित किया जाता है जिस कारण पीड़िता न्याय से वंचित रह जाती है तथा दोषी बच जाते हैं इसलिए महिलाओं के विरुद्ध अपराध

ISBN : 978-81951728-5-6

ना बढ़े, इसलिए समाज को पीड़िता को इन विपरीत परिस्थितियों में सहयोग करने की आवश्यकता है।

5. महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के नियंत्रण हेतु महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है तथा इस संदर्भ में सभी आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है जैसे तात्कालिक शिकायत दर्ज कराने की सुविधा के साथ–साथ उन शिकायतों का जल्दी निस्तारण करना, सभी आकस्मिक नंबर संबंधी जानकारी को प्रसारित करना, पुलिस, न्यायालय एवं स्वयंसेवी संगठन इत्यादि द्वारा महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले क्रियाकलापों को प्रभावपूर्ण ढंग से संपन्न करना है ।

निष्कर्ष

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के मामले पुरातन भारतीय समाज एवं संस्कृति पर कलंक लगाते हैं और कहीं ना कहीं संपूर्ण भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, भारत जैसे देश में जहां नारी को शक्ति माना गया है तथा उसकी कई रूपों में पूजा आराधना की जाती है तथा जिसे धर्म ग्रंथों में उच्च दर्जा प्राप्त है उसके लिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः आदि की बात की गई है, वहां नारियों की गरिमा अस्मिता को ठेस पहुंचाने वाले तथा उनको शोषण एवं उत्पीड़न की कगार पर खड़े कर उनके संपूर्ण जीवन को कष्टमय और दयनीय स्थिति में जीने को मजबूर कर देने वाली स्थिति वास्तव में विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में शामिल किए जाने वाली भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को कटघरे में खड़ा करता है। महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाओं पर रोकथाम हेतु अपनी वर्षों पुरानी प्राचीन संस्कृति और उसके मूल्यों आदर्शों को अपनाने की आवश्यकता है महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार एवं सम्मान देने की आवश्यकता है ताकि महिला गौरव एवं सम्मान को

सामाजिक संवैधानिक एवं कानूनी रूप से संरक्षित एवं सुनिश्चित किया जा सके ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *आहूजा, राम (2016) " सामाजिक समस्याएं", रावत पब्लिकेशन, पृष्ठ क्रम 222– 238*
2. *चौधरी, नेहा (2020) " नारी के विरुद्ध हिंसा" सेज पब्लिकेशन, पृष्ठ क्रम 3–10*
3. *क्राइम इन इंडिया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वॉल्यूम–1, 2019 ; 195–244*
4. *क्राइम इन इंडिया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वॉल्यूम–1, 2018 ; 195–244*
5. *क्राइम इन इंडिया,नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो वॉल्यूम–1, 2017 ;195–244*
6. *शिवानी, अनूप कुमार सिंह, (2020)" समकालीन भारतीय समाज में महिलाओं में अपराध का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन"– Ansandhan: A multidisciplinary International Journal (in Hindi)]vol-5] Issue-1&2] Page 1–5*
7. *मल्होत्रा, ममता (2011)" महिला अधिकार और मानव अधिकार" प्रभात प्रकाशनरू पृष्ठ क्रम, 13–17*